


422/18

09.9.19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि विप्रार्थीगण के नोटिस तलबाना पेश किये जाने के प्राप्त अवसर दिये जानें के उपरांत भी आदिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा नोटिस तलबाना पेश नहीं किया गया है, और न ही प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे प्रतीत होता है, कि प्रार्थीगण आवेदन को अनावश्यक लम्बित करना चाहते हैं, और न्यायालय आदेश की पालना भी नहीं कर रहे हैं। इसी सूरत में प्रार्थीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर


स्वखण्ड अधिकारी
खिबाना (बाड़मेर)

